''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 22, शक 1924

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-8/दो/आठ-परि./02.—राज्य शासन, ''मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम'' के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आस्तियां, दायित्व, अधिकार एवं कर्मचारियों को, अभिप्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, को अधिकृत करता है. उक्त विभाजन से प्राप्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें पूर्वानुसार छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, में प्रभावी रहेंगी. आस्तियों एवं दायित्वों के प्रबंधन तथा कर्मचारियों के पुनर्वास की कार्यवाही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं नीतियों के अनुरूप की जावेगी.

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ 6-8/दो/आठ-परि./02.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-12-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 13th December 2002

NOTIFICATION

No. F 6-8/दो/आठ-परि/02.—The State Government authorizes Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation to takeover the assets, liabilities, rigths and employees, consequent to the division of "Madhya Pradesh State Road Transport Corporation". The Service conditions of the employees to be taken over on the said division, shall remain effective in Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation as before. The management of assets and liabilities and the rehabilitation of employees shall be done according to the policies and directions of the State Government issued from time to time.

This order is being issued with the concurrence of finance department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.